न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 4753/2018/ दमोह/भू.रा.

महर्षि शिक्षा संस्थान नई दिल्ली
द्वारा अमरीश शर्मा आत्मज श्री एन.पी. शर्मा
आयु – वयस्क पता जबलपुर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
राजेश दीक्षित आयु वयस्क आत्मज – श्री बाबूलाल दीक्षित
प्राचार्य महर्षि विद्या मंन्दिर
दमोह जिला–दमोह

......................निगरानीकर्ता

विरुद्ध

गणेश प्रसाद यादव आयु – 58 वर्ष
आत्मज– श्री सीताराम यादव
निवासी– हटा गौरीशंकर वार्ड तह. हटा
जिला–दमोह

.........................उत्तरदाता

6-8-18
2-8-18

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व सहिंता 1959

उक्त निगरानी माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–6–अ/2017–18 में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरुद्ध दूखित एवं परिवेदित होकर ज्ञान दिनांक 11.06.2018 से समय अवधि मे न्यायदान हेतु प्रस्तुत है।

6/8/18

निगरानी के तथ्यः–

1. यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम हटा तह. हटा जिला दमोह जिसका खसरा क 6/4 रकबा 1.619 हैक्टेयर है उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेखो मे निगरानीकर्ता के नाम दर्ज चली आ रही है।
2. यह कि अनावेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हटा जिला दमोह के समक्ष दिनांक 05.10.2013 को निगरानीकर्ता की उक्त भूमि मे कब्जा दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाये बिना, व्यक्तिसः सूचना पत्र प्रेषित किये बिना सहिंता में वर्णित प्रावधानो के विपरीत प्रकरण क 7/अ–6–अ/2012–13 दर्ज कर बिना क्षेत्राधिकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वास्तविक तथ्यो के विपरीत साक्ष्य एकत्रित किये बिना निगरानीकर्ता की उक्त भूमि के खसरे के कॉलम नम्बर 12/केफियत कॉलम मे उत्तरदाता का कब्जा दर्ज करने संबंधी विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिये।
3. यह कि तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता ने प्रथम अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय हटा जिला दमोह के समक्ष प्रस्तुत की जिसका अपील प्रकरण क 56/अ–6–अ/2013–14 था जिसमे उत्तरदाता द्वारा एक आपत्ति दिनांक 12.09.2014 प्रस्तुत की जिसमें अपील सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने संबंधी विषय उठाया जिस पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने वास्तविक तथ्यो को समझे बिना अपील निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 30.03.2015 पारित किया जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका प्रकरण ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4753/2018/दमोह/भू.रा. महर्षि शिक्षा संस्थान **विरूद्ध** गणेश प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक महर्षि शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली की ओर से **श्री सुनील** सिंह जादौन उपस्थित एवं उन्हें सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6-अ/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20-02-2018 का अवलोकन किया गया । 3. अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14-12-2017 के विरूद्ध पुर्नविलोकन का आवेदन 1 माह 11 दिवस पश्चात प्रस्तुत किया गया था, जिसे यह कह कर निरस्त कर दिया गया कि अपीलार्थी उन बिन्दुओं को वरिष्ठ न्यायालय में अपील में प्रस्तुत कर सकता है । निगरानीकर्ता के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 4. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आयुक्त को अपने ही आदेश का हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर पुर्नविलोकन करने का प्रावधान है । अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के प्रावधान के अनुसार प्रकरण में बोलता हुआ (Speaking Order) आदेश पारित करें । 5. प्रकरण में विधि अनुसार यदि पुर्नविलोकन हेतु अनुमति की आवश्यकता हो तो तदनुसार सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही आदेश पारित किया जाये । सदस्य 14-8-18	